भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1869**

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बोर्ड की विनियामक भूमिका

1869. **श्री श्यामल चक्रवर्ती:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड अपनी बुनियादी विनियामक भूमिका भी प्रभावी रूप से निभाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने छोटे चाय उत्पादक हैं जो अभी भी चाय बोर्ड के विनियामक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) और (ख) : भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के अभाव में लगभग 1,62,000 लाख लघु उपजकर्ताओं में से केवल 32,000 लघु उपजकर्त्ताओं को पंजीकृत करना संभव हो सका है । शेष उपजकर्ताओं के पास न तो मृदा उपयुक्तता प्रमाण पत्र और न ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी अनुमति पत्र है । जब तक सभी लघु उपजकर्ता चाय बोर्ड में पंजीकृत नहीं किए जाते हैं तब तक चाय बोर्ड द्वारा अपनी विनियामक भूमिका का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करना संभव नहीं हो सकेगा ।

(ग) और (घ) : कुल 1,62,000 की अनुमानित संख्या में से लगभग 32,000 लघु उपजकर्ता चाय बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं । इसके कारणों को उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) और (ख) में स्पष्ट किया गया है । चाय बोर्ड सभी उपजकर्ताओं के सर्वेक्षण हेतु पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रहा है ।